छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग
निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

अपील प्रकरण क्रमांक 721/2009

1. श्री अनुराग लाल, — अपीलार्थी
अवर सचिव, छ0ग0 शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
मंत्रालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. जन सूचना अधिकारी, — प्रति अपीलार्थी
कार्यालय जाति प्रमाण पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति
आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान,
रायपुर (छत्तीसगढ़)

//आदेश//
(दिनांक 03 नवंबर, 2009)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री अनुराग लाल द्वारा जानकारी प्राप्त करने के लिए जन सूचना अधिकारी, कार्यालय जाति प्रमाण पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति, आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर के समक्ष दिनांक 30.04.2009 को आवेदन प्रस्तुत किया था, उक्त आवेदन जन सूचना सूचना ने आदेश दिनांक 02.05.2009 के द्वारा निरस्त किया, जिसके विरूद्ध प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 13.05.2009 को अपील प्रस्तुत की गई। प्रथम अपीलीय अधिकारी ने भी दिनांक 12.06.2009 को उक्त प्रथम अपील निरस्त कर दी, जिससे असंतुष्ट होकर उनके द्वारा आयोग के समक्ष दिनांक 03.09.2009 को यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया और उभय पक्ष की सुनवाई की गई। प्रकरण में जन सूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय अधिकारी ने अधिनियम की धारा–8(1)(क)(ज) के अन्तर्गत चाही गई जानकारी को छूट प्राप्त मानकर जन सूचना का आवेदन और प्रथम अपील निरस्त की है। प्रति अपीलार्थी ने अपने लिखित उत्तर में यह बताया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद–46 एवं 16(4) के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षण के संबंध में उन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए फर्जी जाति प्रमाण पत्र के संबंध में अपीलार्थी के विरूद्ध कार्यवाही की है और उन्होंने अपीलार्थी की नियुक्ति निरस्त करने एवं उनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज कर अभियोजन की कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं और उन्होंने अपने–आप को अर्द्ध न्यायिक प्रक्रिया करने वाली समिति बताते हुए मा0 उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय का हवाला देकर गवाहों एवं बयानकर्ता की सुरक्षा का दायित्व बताते हुए अपने निर्णय को सही ठहराया है। इस संबंध में यह तथ्य विचारणीय है कि समिति द्वारा अपनी जॉच की कार्यवाही पूर्ण कर शासन को अपनी अनुशंसा में नियुक्ति निरस्त करने एवं आपराधिक प्रकरण दर्ज कर अभियोजन की कार्यवाही करने का निर्देश दिये जा चुके हैं। प्रकरण में जन सूचना अधिकारी का यह तर्क कि जानकारी देने से गवाहों की सुरक्षा अथवा अन्य फर्जी प्रमाण पत्र बनवाने वालों को प्रोत्साहन मिलने की संभावना है, यह कल्पना पर आधारित काफी दूर की सोच प्रतीत होती है, यदि ऐसा तर्क मान्य किया जावे तो फिर अधिकांश आपराधिक प्रकरणों में न्यायालयों द्वारा गवाहों के बयानों की प्रतियॉ अभियुक्तों को दी ही नहीं जावेगी। अतः इस आधार पर धारा–8(1)(क)(ज) इस प्रकरण में लागू किया जाना मान्य करना संभव नहीं है और चाही गई जानकारी को अपीलार्थी को दिये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है। वैसे भी न्यायालय में यदि चालान प्रस्तुत हो चुका है तो न्यायालय द्वारा पूर्ण विचार किया जाकर प्रकरण में कार्यवाही की जावेगी तथा न्यायालय से भी अपीलार्थी को यह जानकारी संभवतः दी जा सकती है।

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

अतः प्रति अपीलार्थी का तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं होने से अब यह निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई जानकारी उन्हें 15 दिवस के अन्दर निःशुल्क प्रदान की जावे। प्रकरण में किसी प्रकार की शास्ति की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है, किन्तु विलंब के कारण अपीलार्थी को हुई आर्थिक/मानसिक क्षति के लिए अधिनियम की धारा–19(8)(ख) के अन्तर्गत विभाग की ओर से अपीलार्थी को क्षतिपूर्ति के रूप में राशि 250/– रूपये प्रदान करने के निर्देश दिये जाते हैं।

3/ उपरोक्त निर्देशों के साथ उक्त अपील स्वीकार की जाती है।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com